कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

पत्रांक– 57 /स0न0आ0/न0नि0म0वृ0(वृन्दावन जोन)/2025–26

दिनांक– 07/8/2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा पागल बाबा–मॉट रोड पर कान्हा गौशाला संचालित है। शासन के निर्देशानुसार कान्हा गौशाला का संचालन निजी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/गौ–प्रेमियों के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अन्तर्गत कराया जाना है। कान्हा पशु आश्रय गौशाला नगर निगम मथुरा–वृन्दावन पागल बाबा–मॉट रोड को गोद लेने/संचालन हेतु इच्छुक सभी निजी संस्थाओं/गैर सरकारी संगठनों/गौ–प्रेमियों को निम्न पात्रता अर्हता/योग्यता होना आवश्यक है:–

1–संस्था या एन0जी0ओ0 विधिवत पंजीकृत हो (सोसायटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कम्पनी एक्ट)।
2–न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव व प्रमाणित सामाजिक/धार्मिक/पशुपालन कार्य।
3–विवाद रहित पृष्ठ भूमि, संस्था/व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित न हो।
4–प्राथमिकता स्थानीय संस्था/व्यक्ति को दी जायेगी।
5–कॉरपारेट CSR की स्थिति में CSR पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार इच्छुक संस्था/एन0जी0ओ0/गैर सरकारी संगठनों/गौ–प्रेमियों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना आवेदन/प्रस्ताव नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के वृन्दावन जोन में पंजीकृत डाक/दस्ती प्रस्तुत करेगें। नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा प्राप्त आवेदनों का नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर संस्था का चयन करते हुए कान्हा पशु आश्रय गौशाला नगर निगम मथुरा–वृन्दावन संचालन हेतु MOU सम्पादित कर अधिकृत किया जायेगा। उक्त MOU की अवधि 03 वर्ष होगी जिसे संतोषजनक कार्य प्रदर्शन पर पुनः उक्त अवधि हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा। अन्य शर्ते एंव शरायतें वृन्दावन जोन के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

सहायक नगर आयुक्त/प्रभारी कान्हा गौशाला
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपि–

1–मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2–नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
3–समस्त जोनल अधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने–अपने जोन में सूचनापट पर विज्ञप्ति चस्पा कराने का कष्ट करें।
4–समस्त मा0 पार्षदगणों को सूचनार्थ।
5–यूनिकॉम एड को इस आशय से प्रेषित है कि वह समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, एंव अमर उजाला में उपरोक्त विज्ञप्ति सूचना अपने समाचार पत्र में एक दिन न्यूनतम स्थान पर प्रकाशित कराते हुये बिल प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6–कम्पूटर ऑपरेटर ई–टेण्डरिंग को उक्त विज्ञप्ति को नगर निगम की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

07-08-2025

सहायक नगर आयुक्त/प्रभारी कान्हा गौशाला
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

83

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा संचालित कान्हा पशु आश्रय गौशाला को गोद/संचालन हेतु प्रतिबंध एंव शर्ते

1. संस्था द्वारा किसी भी दशा में कान्हा गौशाला में संरक्षित गोवंश की बिक्री नहीं की जायेगी।
2. संस्था द्वारा गौशाला में संरक्षित गोवंशों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी। नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा किसी भी समय गौशाला में निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किया जा सकता है।
3. संस्था द्वारा गौशाला में संरक्षित गोवशों का रिकार्ड नियमित रूप से अद्यतन किया जायेगा तथा गौशाला में जन्म एंव मृत्यु संबंधी रिकार्ड/सूचना साप्ताहिक रूप में पशु चिकित्सा अधिकारी एंव नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. राज्य सरकार के अधिकारी/नगर निकाय के अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी/पैरावेटनरी स्टाफ किसी भी समय गौशाला का निरीक्षण कर सकते है। संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. संस्था द्वारा गौशाला परिसर में कोई गैर–प्रासंगिक अथवा अवांछनीय गतिविधि नहीं की जायेगी।
6. संस्था द्वारा गौशाला में स्वच्छता, सुरक्षा एंव चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित रखना अनिवार्य होगा।
7. नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा उपलब्ध करायी गयी अवसंरचना, मशीन, औजार इत्यादि का दुरूपयोग यदि संस्था द्वारा किया जाता है तो उससे होने वाले क्षति के लिए संस्था उत्तरदायी होगा।
8. यदि नगर निगम मथुरा–वृन्दावन विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से यह पाता हैं कि संस्था द्वारा गोवंशों का ठीक से भरण–पोषण, चिकित्सीय उपचार नहीं किया जा रहा है या निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसंरचना/संसाधनों का दुरूपयोग किया जा रहा है, तो निकाय को यह अधिकार होगा कि वो नोटिस देकर संस्था के साथ किये गये MOU को निरस्त कर सकता है। उक्त के परिणाम स्वरूप हुई किसी प्रकार की क्षति की मॉग का कोई विधिक अधिकार संस्था को नहीं होगा।
9. संस्था को गौशाला से प्राप्त आय का उपयोग उसके संचालन एंव रख रखाव में करना अनिवार्य होगा तथा इसका लेखा–जोखा नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को प्रस्तुत करना होगा।
10. गो–आधारित उत्पादों की बिक्री अनुमन्य रहेगी, परन्तु गोवंश की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
11. गौशाला के गोवंशों के चारा–भूसा हेतु आवश्यकतानुसार मानक व्यवस्था के अनुसार शासन से अनुदान की मॉग की जा सकती है। उक्त अनुदान की स्वीकृति वित्त की उपलब्धता पर निर्भर होगी।
12. संस्था को शर्तो का पालन करना होगा, किसी भी प्रकार की अनियमितता एंव पशु क्रुरता पाये जाने पर MOU समाप्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के अधीन निहित होगा।
13. समय–समय पर जारी शासनादेशों के नियमों का पालन करना होगा।
14. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का बढ़ाने एंव शिथिल करने को अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में निहित होगा, और विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा–वृन्दावन या नगर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय सर्वमान्य होगें।
15. कार्य अवधि में दर्शाये गये तथ्यों में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो MOU स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
16. किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मथुरा–वृन्दावन नगर ही होगा तथा किसी भी समय MOU को निरस्त करने का अधिकार नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में निहित होगा।

(राजकुमार सरस) लिपिक, गौशाला	(श्रीगोपाल वशिष्ठ) कार्यालय अधीक्षक	(मुकेश सिंह) राजस्व निरीक्षक	(अनुज कौशिक) सहायक नगर आयुक्त	(सी0पी0 पाठक) अपर नगर आयुक्त